IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिलाओं के हाथ में हो फैसले का अधिकार

डा0 कुमारी भारती

एम0ए0 समाजशास्त्र, पी–एच0डी

अनिशाबाद पटना–2

उम्र और चेहरे भले अलग–अलग हों, लेकिन जज्बात एक है। चाहे 70 साल शांति देवी हों या 19 साल की फातिमा, सबका मानना है कि जमाना भले बदल गया हो, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे है। ये हालात तभी बदलेगें जब महिलाओं के हाथ में फैसले लेने का अधिकार होंगें। चाहे घर हो या दफ्तर, लड़ाई के मैदान हो या संसद, हर जगह महिलाओ के लिए ऐसी जगह तय करनी होगी, जहॉ वे अपने फैसले ले सकें। महिलाओं का मानना है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा राजनिति में भाग लेना होगा, ताकि अच्छे लोग लोकसभा और विधानसभाओं में बैठ सकें। आगे बढ़कर मतदान करना होगा, ताकि अच्छे लोग लोकसभा और विधानसभाओं में बैठ सकें। उन्हें वैसी नौकरियों के लिए खुद को तैयार करना होगा, जहॉ पहुंचकर उन कानूनों को प्रभावशाली तरीके से लागू कर सकें। अगर ये कानून पभावशाली साबित नही हो रहे है तो उन्हें बदलने की भी पहल करनी होगी।

लड़कियो को सदियों से दोयम दर्जे का समझना ही उनके साथ अन्याय है। आजादी के 30 साल तक महिलाओ की स्थिति में सुधार की रफ्तार काफी धीमी थी। लेकिन 90 के दशक के बाद तेजी से परिवर्तन हुआ। शहरी क्षेत्रों में मलिलाओं ने तो अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रामिण इलाकों में स्थिति चिंताजनक है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा का अभाव। मलिलाओ को समझे, तभी पुरूषसतात्मक समाज से लड़ पायेगी।

देश की स्वतंत्रता की लड़ाई तो फिर भी आसान थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। लेकिन महिलाओं का संघर्ष तो अपने घर से शुरू होता है। हम अपने ही देश, अपने ही समाज में अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। दुश्मनों से लड़ना तो आसान है लेकिन अपनों से लड़ाई में काफी मुश्किलें आती हैं। जिस तरह से महिलाओं के साथ हिंसा बढ़ रही है, उसमें लड़कियों की सुरक्षा अहम मुद्दा है। यही वो वजह है जो हमें हमारे अधिकार से वंचित करती है।

पहले की अपेक्षा छेड़खानी अब ज्यादा बढ़ गई है। हम लोगों को खाना–पीना ठीक मिलता था। लेकिन आज लड़कियो को कुछ नही पाता है। पहले कन्या भ्रूण हत्या नही होती थी। लेकिन आज मशीन के इस्तेमाल से बेटियो को मारा जा रहा है। लड़कियों के लिए सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। लेकिन अब वे जागरूक हुई हैं। वे गैरबराबरी के खिलाफ आवाज उठाने लगी हैं। आरक्षण और बराबरी का दर्जा महिलाओं को मिलना चाहिए।

करीब पचास साल पहले तक महिलाए घर में कुढ़कर रह जाती थीं। चाहकर भी ठीक से नही पढ़ पाती थीं और न ही बाहर निकल पाती। लेकिन अब लड़कियां जागरूक हुई है। उनके सपनों में रंग भरता गया, उनके विचार खुलते गए। इसकी बदौलत आज लड़कियां रैलियो में जाकर अपनी बातें रख रही हैं। बात रखने की आजादी से महिलाओं के विकास का रास्ता खुलता जा रहा है। लेकिन आज भी महिलाए अपने पर हुए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से डरती है।

आजादी के शुरूआती कुछ सालों तक बदलाव धीमी गति से हुआ। इसलिए इस बदलाव को नोटिस नही लिया गया। लेकिन दो दशक में बहुत तेजी से बदलाव हुआ है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपना स्थान सुरक्षित किया है। समाजिक व

आर्थिक बदलाव तो होना ही चाहिए। लेकिन सबसे अहम महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी है। जब तक महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व संसद और राजनीतिक मंचों पर नही दिखेगा उनकी आजादी का संघर्ष जारी रहेगा।

महिलाओं की आजादी की बात अगर आज की जाय तो ये जरूर कहा जा सकता है कि आज परिस्थितियां बदली है। इस बदलाव में लड़कीयों की सिक्षा ने बहुत बड़ी भुमिका निभाई है। आज लड़कियां शिक्षित हो रही हैं। और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव तो आया है लेकिन यह अधुरा है। महिलाओं के लिए उचित शिक्षा और उनके अधिकारों का सम्मान करके ही उन्हें आजादी दी जा सकती है।

संविधान में महिलाओं को भी वे सभी अधिकार दिए गए है, जो पुरूषों को दिये गए है। लेकिन अधिकांश महिलाओं के लिए इन अधिकारों का कोई मतलब नही है। महिलाएं इन अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और न समाज उन्हें इन अधिकारों के प्रति जागरूक होने देना चाहता है। समाज कई सकारात्मक बदलाव दिखे है लेकिन ये बदलाव इतने बड़े स्तर का नही है मलिलाओं के लिए आजादी का ये संघर्ष आने वाले समय में भी जारी रहेगा।

महिलाओं की आजादी की ये लड़ाई और लंबी चलेगी। हर जगह बदलाव तो दिख रहा है लेकिन महिलाओं का शोषण बंद नही हुआ है। अब महिलाओं के शोषण के तरीके बदल गये हैं लेकिन अनाचार नही रूका है। समाज के हर क्षेत्र में लड़कियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। फिर भी सोच में सकारात्क परिवर्तन नही दिख रहा है। लड़का–लड़की का फर्क, बेटी–बहू का फर्क जब तक खत्म नही होगा, लड़कियों के लिए आजादी सपना ही रहेगा।

आज लड़कियॉ घरों से बाहर निकल रही हैं। शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में वे पहचान बना रही है। लेकिन समाज में बराबरी का हक महिलाओं को अभी नही मिला है। बराबर का हक तय करने में शिक्षा का अहम स्थान है। इसके अलावा महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। आज जो सामाजिक परिस्थितियां बन रही है, इसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना बहुत तरूरी है। ये बदलाव पाठयक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल करके लाया जा सकता है।

महिलाओं को मिले अधिकार

घरेलू हिंसा के खिलाफ

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, 2005 2005 का 43 की धारा 1 की उपधारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम लागू किया।

दहेज विरोधी कानून

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत दहेज लेना और देना दोनो ही अपराध माना गया है। 20 मई 1961 को इसे लागू किया गया। इसके तहत दहेज देना या लेना दोनो ही अपराध हैं इसके लिए कानूनी सजा और जुर्माना हो सकते है।

प्लांटेशन लेबर एक्ट

प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951 के तहत किसी भी महिला कर्मचारी की तबीयत खराब होने या मात्रत्व की स्थिति में छुटटी देनी होगी और इसके साथ ही उसकी मैटरनिटी कर खर्च भी उठाना होगा। प्लांटेशन लेबर एक्त के तहत महिलाओं को काम करने के लिए बेहतर माहौल और मेहनताना देने की जिम्मेदारी भी नियोक्ता की ही हैं। इसे 2 नवंबर 1951 को लागू किया गया।

संपति में बराबर का अधिकार

हिन्दू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के तहत प्रत्येक पुत्री को अपने पिता की संपति में अपने भाइयों के समानान्तर हिस्सा पाने के अधिकार है। इसे 9 सितम्बर 2005 में लागू किया गया। इसके तहत पूत्री विवाहिता या अविवाहिता अपने अधिकारों की मांग करती है तो उसे समानता का अधिकार पाने का हक है।

बेतन में बराबरी का अधिकार

भारतीय कानून के तहत महिलाओं को पुरूषों के बराबर वेतन दिए जाने का प्रावधान है। इसके तहत किसी महिला को पुरूषों के समान कार्य के लिए उतना ही वेतन मिलना चाहिए जितना की पुरूषों को मिल रहा है यानी की एक समान काम के लिए एकसमान वेतन।

मातृत्व लाभ कानून

मात्रत्व लाभ कानून 1961 के तहत महिला के मॉ बनने की स्थिति में एक निश्चित समयावधि तक उसे छूटी मिलनी चाहिए। इस अवधि के दौरान उसकी नौकरी जारी रहेगी और उसे वेतन भी प्राप्त होगा। कानून के तहत महिला को मात्रत्व लाभ भी मिलेगा यानि एक निश्चित सीमा तक जन्म पर हुआ खर्च भी कार्यालय उठाएगा।

स्पेशल मैरिज एक्ट

स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म में व्यक्ति से शादी कर सकता है। जम्मू – कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों पर यह नियम लागू होता है। इसके लिए लड़के की उम्र 21 व लड़की की उम्र 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए।

सती विरोधी कानून

कमिशन ऑफ सती प्रीवेंशन एक्ट, 1987 के तहत यदि कोई महिला अपनी मर्जी से या किसी दवाव में सती होने का प्रयास करती है तो उसे एक साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा सती होने के लिए दबाव डालने वाले वयक्ति पर म्रत्यू दंड, आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है। सती विरोधी कानून के तहत सती बनने या बनाने के लिए दबाव डालना जूर्म है।

गर्भपात कानून

गर्भपात कानून 1971 के तहत किसी भी वजह से महिला का गर्भ गिराना कानूनन जूर्म माना गया है। लेकिन इस कानून में कई कमियां होने की वजह से एक अप्रैल 1972 को कुछ बदलाव के साथ इसे दोबारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1972 के नाम से लागू किया गया। इसके तहत गर्भ की वजह से महिला के मानसिक और शारीरिक सेहत को खतरा होने की स्थिति में डॉक्टर गर्भपात कर सकता है इसके अलावा बच्चा यदि संभावित रूप से विकलाग है महिला का बलात्कार हुआ है, 18 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित लड़की को गर्भ हो, आदि इन स्थितियों में डॉक्टर महिला का गर्भपात कर सकता है। लेकिन इसके अलावा किसी दबाव में आकर या किसी लालच की वजह से गर्भपात करने पर डॉक्टर को सजा हो सकती है इसके अलावा परिवार को भी सजा भोगनी पड़ सकती है।

महिला का आरक्षण बिल

बिल में महिलाओं के लिए संसद और विधानसभाओं में 33 फिसदी आरक्षण देने की बात है लेकिन इस बिल का शुरू से विरोध हो रहा है। राज्यसभा ने इस बिल को 9 मार्च 2010 में पास कर दिया था। परन्तु लोकसभा में अब तक इस वोटिंग नही हुई है। लोकसभा में पेस करने पर सपा इस बिल को फाड़ चुकी है। तब से यह बिल दोबारा लोकसभा में नही आया है।

हिन्दू विवाह कानून संशोधन बिल, 2012

इस कानून में तलाक को आसान बनाने के प्रावधान किये गए हैं। इसमें दोनों पक्ष तलाक के लिए राजी होने के स्थिति में महिला के लिए आसान शर्तें रखी गई हैं लेकिन यह बिल संसद में लंबित है।

अश्लील चित्रण रोकथाम संशोधन बिल 2012

यह टी0वी0, अखबार व विज्ञापनों में महिलाओं को वस्तु की तरह परोसने की रोकथाम सें संबंधित है। यह बिल मानसून सत्र 2012 में राज्यसभा में पेश हो चुका है। जानकारों का मानना है, बिल के प्रावधान महिलाओं का अश्लील चित्रण रोकेंगे, उन्हे सम्मान दिलवाएंगे। के प्रावधान

महिलाओं के लिए योजनाएं :

राजीव गॉधी नेशनल क्रेच स्कीम फॉर दि चिल्ड्रेन ऑफ वर्किंग मदर

12 हजार रूपये से कम मासिक आय वाली महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 14 लाख महिलाओं को हुआ फायदा।

सेन्ट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड

इसमें हादसो के शिकार, बेसहारा महिलाओं की आउंसलिंग के साथ रोजगार के लिए प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है।

नेशनल मिशन फॉर इंपावरमेंट ऑफ वीमेन

महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की योजना एक साल पूर्व ही शुरू की गई है। विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाता है।

वर्किंग वीमेंस हॉस्टल

इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं को शहरों में हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जाती है। जो सुरक्षित एवं किफायती होते है।

उज्जवला

यह योजना महिलाओं की तस्करी को रोकने एवं पुनर्वासित करने के लिए है। गैर सरकारी संगठनो के जरिये यह योजना चलाई जा रही है।

स्वाधार ग्रह स्कीम

फुटपाथ पर रहने वाली एवं वेघर महिलाओं के लिए यह योजना है। ऐसी महिलाओं को योजना के तहत अस्थाई आवास सुविधा मुहैया कराई जाती है।

जननी सुरक्षा योजना

यह योजना केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। इसका मकसद महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल में आने के लिए प्रेरित करना है। 1.10 करोड़ महिलाओं को हुआ फायदा।

इंदिरा गॉधी मात्रत्व सहयोग योजना

गरीब महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान खुद और बच्चे की देखभाल के लिए चार हजार रूपये की रकद राशी प्रदान की जाती है। 13 करोड़ 40 लाख महिलाएं हुई लाभान्वित।

राष्ट्रीय महिला कोष

महिलाएं छोटे–छोटे ग्रुप बनाकर इस कोष से आर्थिक सहायता लेकर अपना काम शुरू कर सकती हैं और कर्ज ली गई राशी को किस्तों में लौटा सकती है।

सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड इंप्लॉयमेंट प्रोग्राम

गरीब महिलाओं को अपने परंपरागत पेशेवर कौशल को बढ़ाने का मौका दिया जाता है। इससे उन्हें वही काम करते हुए भी बेहतर मजदूरी मिलने लगती है।

वीमेंस इंपावरमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम

उतर प्रदेश के पॉच और बिहार के दो जिलो में शुरू इस योजना में महिलाओं को कृषि विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। 2009 की योजना से 10 हजार महिलाओं ने उठाया लाभ।

संदर्भ ग्रंथ

1. यंग,पी0 बी0 – सांइटिफिक सोशल सर्वेज एण्ड रिसर्च, एशिया
2. राय, पारसनाथ – अनुसंधान परिचय, लक्ष्मीनारायण प्रकाशन, आगरा
3. रूहेला, सत्यपाल – सामाजिक सर्वेक्षण और अनुसंधान–सिद्धांत एवं व्यवहार में, सरस्वती सदन, मसूरी : 1962
4. लुण्डवर्ग, जे0 – सोशल रिसर्च, लागमैन्स, ग्रीन एण्ड कं० प्रा० लि० न्यूयार्क : 1956
5. लवनिया, एम0एम0 – अनुसंधान एवं सांख्यिकी
6. वाजपेयी, एम०एन० – अनुसंधान एवं सांख्यिकी